प्रेषक

कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
बेज़ नं0 29–30, पॉकेट–II,
सैक्टर–4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
2. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

क्रमांकः 424-36
दिनांकः 14-1-19

विषय : **बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में संशोधन तथा नई योजनाओं के संचालन बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 9–11–2018 को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की बैठक में निम्न दो नई योजनाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया है जिनका प्रावधान वैबसाईट (hrylabour.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदनों हेतू करने के सम्बन्ध में श्रम विभाग के IT Wing से किया गया है :–

1. श्रमिकों के बेटों तथा अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर 21 हजार रुपये शगुन के तौर पर प्रदान करना (योजना की प्रति संलग्न)
2. व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20 हजार रुपये तक तथा यू.पी. एस.सी. एवं एच पी.एस.सी. की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतू श्रमिकों के बच्चों को 01 लाख रुपये की राशि प्रदान करना (योजना की प्रति संलग्न)

उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित योजनाओं में संशोधन किए गए हैं। बोर्ड द्वारा लिए गए उक्त निर्णयों के अनुरुप योजनाओं की संशोधित प्रति पालना हेतू तैयार कर दी गई है। उक्त निर्णयों अनुरुप पूर्व में संचालित योजनाओं में संशोधन वैबसाईट पर बोर्ड के प्रोग्रामर श्री महावीर द्वारा कर दिया गया है। संशोधित योजनाओं की पालना का प्रभाव उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर दिनांक 15–01–2019 से अस्तित्व में माना जाए। योजनाओं की प्रति पालना हेतू आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है तथा जैसे ही उक्त नई दो योजनाओं का प्रावधान वैबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन हेतू हो जाता है तदानुसार तत्काल प्रभाव से आप ऑनलाईन आवेदन स्वीकार करके नई योजनाओं के अंतर्गत लाभ की राशि प्रदान करने की कार्यवाही कर सकते हैं।

संलग्न / उपरोक्त

उप श्रम आयुक्त (कल्याण)
कृतेः कल्याण आयुक्त, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक : 437-47
दिनांक : 14-1-19

उक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है :-

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरुग्राम।
2. श्री नरेन्द्र मान, सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थय एवं सुरक्षा विभाग (Chemical), श्रम विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
4. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकूला।
5. प्रोग्रामर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकूला।
6. M/s Trigma Solutions Pvt. Ltd, IT Park, Chandigarh.

उप श्रम आयुक्त (कल्याण)
कृतेः कल्याण आयुक्त, हरियाणा।

विश्वकर्मा जंयती के उपलक्ष्य में आयोजित हुए "राजकीय श्रमिक दिवस" समारोह के दौरान मान्नीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा द्वारा औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के हित में हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में लाभ की राशि बढ़ाने व 03 नई योजनाओं के संचालन की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई जिन्हें हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 9–11–2018 को हुई 49वीं बैठक में अनुमोदित किया गया जिसके अनुसार योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

तीन नई योजनाओं का संचालन

1. श्रमिकों के बेटों तथा अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर 21 हजार रुपये शगुन के तौर पर प्रदान करना।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रुप में आर्थिक सहायता योजना वर्ष 2002 में आरम्भ की गई थी।

श्रमिक हित के मध्यनजर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हरियाणा की तर्ज पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में भी ''स्वयं कार्यरत श्रमिकों व उनके बेटों की शादी के उत्सव पर शगुन योजना'' का संचालन करने हेतू माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुरुप बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इस योजना के संचालन से पुरुष श्रमिकों व उनके बेटों की शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को उत्साहपूर्ण करने में आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि श्रमिकों की बेटी के विवाह हेतू कन्यादान की राशि तथा उक्त नई योजना के अंतर्गत शगुन की राशि शादी के आयोजन की तिथि से 03 दिन पहले प्रार्थी को प्रदान की जाए। उक्त निर्णय की पालना को सुनिश्चित बनाने हेतू संस्था को श्रमिक के बच्चों या स्वयं अविवाहित श्रमिक की शादी के आयोजन की तिथि को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत कर दिया जाए तथा संस्था से अंडरटेकिंग प्राप्त कर ली जाए कि शादी के आयोजन की तिथि उपरांत 06 मास के अन्दर–अन्दर प्रबन्धक शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। यदि 06 मास के अन्दर प्रबन्धक बोर्ड के समक्ष उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते तो उन्हें उक्त योजनाओं के तहत श्रमिकों को प्रदान की गई राशि प्रबन्धक को बोर्ड के पास जमा करवानी होगी। प्रबन्धक श्रमिकों से शादी

के आयोजन से सम्बन्धित जरुरी कागजात अपने रिकार्ड में रखेंगें। इस सम्बन्ध में वैबसाईट पर भी I.T Wing द्वारा प्रावधान बनाया जाए।

2. व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20 हजार रुपये तक तथा यू.पी.एस.सी. एवं एच पी.एस.सी. की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतू श्रमिकों के बच्चों को 01 लाख रुपये की राशि प्रदान करना।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा छात्रवृति योजना वर्ष 1976 में आरम्भ हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के बच्चों को पढाई जारी रखने पर प्रति वर्ष छात्रवृति की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जोकि पढाई को जारी रखने के लिए है। छात्र व्यवसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतू प्राईवेट कोचिंग संस्थानों से कोचिंग लेते हैं जिन पर भारी भरकम खर्च श्रमिकों को वहन करना पडता है। इसलिए श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना से अलग कोचिंग लेने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करने की माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की घोषणा के अनुरुप प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया ताकि गरीब श्रमिक के बच्चे भी कोचिंग केन्द्रों में अच्छी कोचिंग प्राप्त करके अच्छे व्यवसायिक कोर्सों में प्रवेश करके अपना उज्जवल भविष्य बना सकें।

पात्रता का विवरण :

1. श्रमिक की न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि एक वर्ष अनिवार्य है।
2. 20000 रुपये अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिशत (दोनों में से जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।
3. परीक्षार्थी द्वारा अर्हतादायी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य हो।

कोचिंग संस्थान :

- कम से कम तीन वर्ष से कोचिंग प्रदान कर रहे हों।
- न्यूनतम 300 विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा कोचिंग प्रदान की गई हो।
- कम से कम तीन वर्ष से सेवा शुल्क (सर्विस टैक्स) GST कोचिंग classes या coaching institute चलाने हेतू संस्थान द्वारा सरकार को अदा किया जा रहा हो।
- संस्थान द्वारा बोर्ड को देय श्रम कल्याण निधि अदा की गई हो तथा संस्थान Shop & Commercial Establishment Act,1958 के तहत पंजीकृत हो।

इस योजना के अंतर्गत व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षा हेतू कोचिंग के लिए 20 हजार रुपये तथा यू.पी. एस.सी. तथा एच.पी.एस.सी. की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतू 01 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता श्रमिकों के बच्चों को प्रदान की जाएगी।

3. श्रमिक कल्याण पुरस्कार।

श्रमिकों को अधिक से अधिक श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ दिलवाने वाले प्रबन्धकों को श्रम पुरस्कार की भान्ति ''श्रमिक कल्याण पुरस्कार'' से सम्मानित करने का निर्णय लिया जिसमें प्रथम पुरस्कार के रुप में 02 लाख रुपये का 01 पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार के रुप में 01–01 लाख रुपये के 02 पुरस्कार तथा तृतीय पुरस्कार के रुप में 51–51 हजार रुपये के 03 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगें।

उक्त नई योजना की घोषणा अनुसार पात्रता हेतू अन्य मापदण्डों के अतिरिक्त यह शर्त आवश्यक है कि केवल उन प्रबन्धकों को ही योजना के अन्तर्गत विचारा जायेगा जिन द्वारा शत प्रतिशत अंशदान बोर्ड के वैलफेयर फण्ड में जमा करवाया गया हो तथा जिस संस्था द्वारा बोर्ड की योजनाओं के तहत निर्धारित वेतन सीमा के अन्तर्गत कवर होने वाले कर्मचारियों की संख्या की एवज में लाभार्थियों की संख्या की प्रतिशतता जिस संस्था की तुलनात्मक तौर पर अधिक होगी उसी संस्था के प्रबन्धकों को तुलनात्मक आधार पर आंकलन करके क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। योजना हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए संस्था की उक्त विषय में उपलब्धी पूर्व कैलेण्डर वर्ष की आंकी जायेगी। आवेदन पत्रों की प्रस्तुति की अवधि अगले वर्ष में जनवरी से दिसम्बर तक निर्धारित कर दी जाये तथा आवेदन पत्र श्रम निरीक्षक (कल्याण) तथा श्रम कल्याण अधिकारियों के माध्यम से ही स्वीकृत किये जाएं।

योजनाओं में सामूहिक संशोधन

1. बोर्ड की जिन योजनाओं में पात्रता हेतू सेवा अवधि की शर्तें हैं उनमें श्रमिक द्वारा same संस्था तथा अन्य संस्था में सेवा छोड़ने की अवधि का gap एक वर्ष तक का मान्य कर दिया गया तथा स्कीमों में लाभ प्राप्त करने हेतू सभी संस्थाओं की सेवा अवधि की गणना की जाएगी बशर्ते सेवावधि के दौरान वह अंशदाता रहा हो क्योंकि ऐसी स्थिति अधिकतर ठेकेदारों के बदलने से पैदा होती है।

2. बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 में श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्तों को Industrial Dispute Act, 1947 की धारा 2 (s) के अंतर्गत कवर होने वाले श्रमिकों के प्रमाणीकरण हेतू अधिकृत किया हुआ था

क्योंकि उस समय बोर्ड की योजनाओं व अन्य कार्य श्रम विभाग व बोर्ड के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा Process किया जाता था। वर्तमान परिस्थिति में उक्त कार्य केवल बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा Process किया जा रहा है। अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा श्रम कल्याण अधिकारियों को ही उक्त प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त BOCW बोर्ड की तर्ज पर श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कवर होने वाले श्रमिकों का पंजीकरण करने तथा पंजीकरण पुस्तिकाएं बनवाने का निर्णय लिया। इन पुस्तिकाओं का प्रमाणीकरण श्रम कल्याण बोर्ड के निरीक्षक व अधिकारी सम्बन्धित संस्था के रिकार्ड से करेंगें तथा पंजीकरण पुस्तिकाओं के नवीनीकरण की अवधि भी निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

3. बोर्ड की योजनाओं के लाभ D.B.T के माध्यम से वितरित हो रहे हैं जिससे श्रमिक व उसके आश्रितों के आधार कार्ड का डाटा अपलोड करवाया जाता है जिसके कारण अब योजनाओं में राशन कार्ड/ESI के प्रमाण की निर्धारित की गई शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड की Ex-gratia योजना तथा मुख्य मन्त्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत DBT से लाभ की अदायगी नहीं हो पा रही क्योंकि श्रमिक की मृत्यु के उपरांत उसका आधार सीडिड बैंक खाता automatically बन्द हो जाता है तथा फिलहाल उसके आश्रितों को DBT अदायगी जारी करने बारे web portal पर कोई प्रावधान नहीं बन पाया है जिसके लिए प्रयास जारी है। अतः जब तक DBT अदायगी का प्रावधान नहीं हो जाता तब तक उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभ की राशि की अदायगी मृतक श्रमिक के आश्रित के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

4. बोर्ड की मुख्य मन्त्री सामाजिक सरुक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सम्बन्धी दोनों योजनाओं का लाभ सभी अंशदाता कर्मचारियों को प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया एवं सिलीकोसिस योजना की भांति श्रमिकों की पूर्ण दिव्यांगता के कारण काम करने में अक्षमता पर तथा मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को बोर्ड की योजनाओं का लाभ प्रदान करने बारे सम्भावित खर्च के आंकलन हेतू disabled केसों व मृतक श्रमिकों का डाटा एकत्रित करके प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा पहले से संचालित योजनाओं में वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाई गई तथा योजनाओं के अंतर्गत और ज्यादा लाभार्थियों को कवर करने के लिए निम्न संशोधन किए गए :–

योजनाओं की पात्रता हेतू मासिक वेतन में बढ़ौतरी

20 हजार रूपये मासिक वेतन सीमा के अन्तर्गत पात्रता वाली बोर्ड की निम्न योजनाओं में पात्रता हेतू वेतन सीमा बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दी गई :–

क्रम संख्या	योजना का नाम
1.	श्रमिकों की लड़कियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने बारे।
2.	कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
3.	श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे।
4.	श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे।
5.	श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने बारे।
6.	कामगारों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता देना।
7.	कामगारों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में कार्यरत महिला की स्वयं की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता देना।
8.	महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे।
9.	कामगारों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे।
10.	श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता देने बारे।
11.	किसी भी दुर्घटना में दिव्यांग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे।
12.	किसी भी कारण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके श्रमिकों व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन या hearing aids हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे।
13.	दिव्यांग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को तिपहीया साईकल (Try cycle) उपलब्ध करवाने बारे।

14.	मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना।
15.	श्रमिक की मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे।

पुरानी योजनाओं में संशोधन

1) श्रम पुरस्कार :– औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को दिये जाने वाले श्रम पुरस्कारों की राशि बढ़ाई गई जिसमें श्रम रत्न पुरस्कार की राशि 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 02 लाख रुपये, श्रम भूषण पुरस्कार की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 01 लाख रुपये तथा श्रम वीर एवं श्रम वीरांगना पुरस्कार की राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई है।

2) श्रमिकों की कार्यक्षेत्र के अन्दर व बाहर दिव्यांगता पर वित्तीय सहायता

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य श्रमिक की दुर्घटना से अथवा किसी अन्य कारण से अपंगता होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करके सान्तवना देना है।

योजना का विवरण :– इस योजना के अंतर्गत उन औद्योगिक कामगारों को जिनकी ड्यूटी के दौरान या अन्य किसी भी कारण से कार्यस्थल से बाहर दुर्घटना में अपंगता हो जाती है, को मैडीकल बोर्ड/ई0 एस0 आई0 द्वारा प्रार्थी को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर–अन्दर आवेदन करने पर दिव्यांगता की प्रतिशतता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य मन्त्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र के अन्दर किसी भी कारण से दिव्यांग होने पर श्रमिक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त दोनों योजनाओं के कार्यक्षेत्र के अन्दर व कार्यक्षेत्र के बाहर दिव्यांगता होने पर निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन :–

दिव्यांगता की प्रतिशतता	वित्तीय सहायता की राशि कार्यक्षेत्र के अन्दर	वित्तीय सहायता की राशि कार्यक्षेत्र के बाहर	घोषणा अनुसार कार्यक्षेत्र के अन्दर व बाहर अर्थात् दोनों स्थितियों में दिव्यांगता होने पर बढायी गई वित्तीय सहायता की राशि
Minor disability (50 % तक की injury)	20,000 रू0	50,000 रू0	1,00,000 रू0

Major disability (50 % से ऊपर की injury)	30,000 रू0	1,00,000 रू0	1,50,000 रू0

3) श्रमिकों के दिव्यांग (अंधे, मन्दबुद्धि, मूक तथा बधिर) बच्चों वित्तीय सहायता देने बारे।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों के अपंग, अन्धे तथा मन्दबुद्धि बच्चों हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी मूलभूत आवश्यकताओं हेतू श्रमिकों की मदद करना है।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन :–

दिव्यांगता की प्रतिशतता (अन्धे, मन्दबुद्धि, मूक तथा बधिर)	वित्तीय सहायता की राशि कार्यक्षेत्र के अन्दर	घोषणा अनुसार श्रमिकों के बच्चों की दिव्यांगता होने पर बढायी गई वित्तीय सहायता की राशि
70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक दिव्यांगता होने पर	15,000 रू0	20,000 रू0
91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता होने पर	20,000 रू0	30,000 रू0

4) श्रमिकों के बच्चों की खेलों के क्षेत्र में प्रतिभा को विकसित करने बारे।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना तथा खेलों के प्रति उनकी प्रतिभा को उभारना है ताकि वह खेलों में विकास से खेलों को अपना कैरियर भी बनाने में सक्षम हो सके।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों की खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर 1000 रुपये से 10400 रुपये तक दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये से 31000 रुपये प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त योजना में यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय सहायता श्रमिकों के कितने बच्चों तक उपलब्ध होगी। अतः योजना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त योजना के लाभ हेतू बच्चों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी अर्थात् योजना का लाभ सभी प्रतियोगी बच्चों को निम्न प्रकार से प्रदान किया जाएगा ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे खिलाडी बन सकें :–

खेल प्रतियोगिताएं	जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं	मण्डल स्तरीय प्रतियोगिताएं	राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं	राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं	अर्न्तराष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं
क) सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	1000 से 2000 रु0	2000 से 3000 रु0	3000 से 4000 रु0	4000 से 5000 रु0	5000 से 11000 रु0
ख) सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर।	1200 से 2000 रु0	2200 से 3000 रु0	3200 से 4000 रु0	4200 से 5000 रु0	5200 से 21000 रु0
क) व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	2000 से 3000 रु0	4000 से 5000रु0	6000 से 7000 रु0	8000 से 9000 रु0	10000 से 21000 रु0
ख) व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर।	2400 से 3000 रु0	4400 से 5000 रु0	6400 से 7000 रु0	8400 से 9000 रु0	10400 से 31000 रु0

5) श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभा को विकसित करने बारे।

उद्देश्य :– श्रमिकों के बच्चों की भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि पैदा करना तथा उन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतू प्रेरित करना है ताकि वह अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा को विकसित करके इसे अपना कैरियर बनाने में भी सक्षम हो सके तथा बड़े कलाकार बन सकें।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर 1000 रुपये से 10400 रुपये तक दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये से 31000 रुपये प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त योजना में यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय सहायता श्रमिकों के कितने बच्चों तक

उपलब्ध होगी। अतः योजना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त योजना के लाभ हेतू बच्चों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी अर्थात् योजना का लाभ सभी प्रतियोगी बच्चों को दिया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए जिला स्तरीय, मण्डल स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय व अन्त राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे कलाकार बन सकें। इस योजना में भी उक्त योजना के अनरुप संशोधन किया गया है जो निम्न प्रकार से है :–

सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं	जिला स्तरीय प्रतियोगिता	मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता	राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता	अर्न्त राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता
क) सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रति.योगिता में भाग लेने पर।	1000 से 2000 रु0	2000 से 3000 रु0	3000 से 4000 रु0	4000 से 5000 रु0	5000 से 11000 रु0
ख) सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय स्थान पर प्राप्त करने पर।	1200 से 2000 रु0	2200 से 3000 रु0	3200 से 4000 रु0	4200 से 5000 रु0	5200 से 21000 रु0
क) एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	2000 से 3000 रु0	4000 से 5000 रु0	6000 से 7000 रु0	8000 से 9000 रु0	10000 से 21000 रु0
ख) एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर।	2400 से 3000 रु0	4400 से 5000 रु0	6400 से 7000 रु0	8400 से 9000 रु0	10400 से 31000 रु0

6) श्रम कल्याण केन्द्र ।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों की पत्नियों व लडकियों को घरेलू कार्यों तथा कुछ जीविका कमाने के उद्देश्य हेतू सिलाई, कढ़ाई व बुनाई का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाना है।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

प्रत्येक सम्बन्धित शैक्षणिक सैशन में एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर दी गई है ताकि वह अपनी स्वयं की सिलाई मशीन खरीदकर अपने घरेलू कार्य कर सकें व कुछ जीविका भी कमा सकें।

7) महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे।

उद्देश्य :– महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को 7000 रूपये की वित्तीय सहायता अच्छी पौष्टिक खुराक हेतू प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी तन्दरुस्ती कायम रख सके।

योजना का विवरण :– यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। सभी औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं की महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर 7000 रूपये वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाता है, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं' अभियान के तहत दिनांक 23–02–2015 से उक्त योजना में महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को तीन लड़कियों तक की प्रसूति पर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

प्रसूति योजना में वित्तीय सहायता की राशि 7000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाए तथा प्रसुति की तिथि से एक वर्ष तक स्वीकृति श्रम कल्याण अधिकारियों तथा एक वर्ष से अधिक व डेढ (1 ½ वर्ष) की अवधि तक स्वीकृति हेतू कल्याण आयुक्त, हरियाणा को अधिकृत कर दिया गया।

8) दिव्यांग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को तिपहिया साईकल प्रदान करने बारे।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य है कि यदि श्रमिक या उसका आश्रित किसी भी दुर्घटना या अन्य कारण से अपनी टांगें गवा देता है तो उसे तिपहिया साईकिल खरीदने के लिए 5000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है ताकि वह अपने अपंग होने के दोष में न रहकर अपनी दिनचर्या को सुचारु रुप से चला सके।

योजना का विवरण :– श्रमिकों व उनके आश्रितो को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी टांगें गवांने पर तिपहिया साईकिल उपलब्ध करवाने हेतु 5000 रूपये या वास्तविक कीमत जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में श्रमिक को तिपहिया साईकिल खरीदने का बिल प्रस्तुत करना होता था। इस योजना में यह स्पष्ट नहीं था कि श्रमिक या उसके आश्रितों को योजना का लाभ कितनी बार प्रदान किया जाना है जिसके अभाव में केवल एक बार ही योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। इस योजना में भी केवल एक बार ही वित्तीय सहायता प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार के वाहन अधिक से अधिक 05 वर्ष ही सुचारु रुप से चल पाते हैं।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

जीवन भर में उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को 01 बार की बजाय 05 वर्ष के अंतराल पर प्रदान करने तथा वित्तीय सहायता को 5000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त योजना के अंतर्गत योजना की पात्रता हेतू तिपहिया साईकिल खरीदने का बिल प्रस्तुत करने की शर्त समाप्त कर दी गई क्योंकि योजना के अंतर्गत डाक्टर द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है जिसके अनुसार इस योजना में राशि के दुरुपयोग की सम्भावना नहीं रहती।

9) श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करने बारे।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को दांतों की बिमारियों हेतू तथा जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वह अपने दांतों को स्वस्थ रख सके तथा दांतों के खराब होने की स्थिति में नया जबड़ा लगवा सके।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में दी जाने वाली राशि में निम्न प्रकार से बढ़ौत्तरी कर दी गई :–

योजना का विवरण	वित्तीय सहायता की राशि	घोषणा अनुसार बढायी गई वित्तीय सहायता की राशि
दन्त चिकित्सा	2,000 रू0	4,000 रू0
दॉतों का ढांचा लगवाना	5,000 रू0	10,000 रू0

10) बधिर श्रमिकों व उनके बधिर आश्रितों को श्रवण मशीन हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करने बारे।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य किसी भी कारण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके श्रमिकों व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी श्रवण शक्ति में सुधारकर उन्हें सामान्य जीवन जीने के लायक बनाना है।

योजना का विवरण :– योजना के अन्तर्गत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर बधिर श्रमिकों व उनके बधिर आश्रितों को श्रवण मशीन खरीदने हेतु 3000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। केवल एक बार ही योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। इस योजना में केवल एक बार ही वित्तीय सहायता प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार के यंत्र अधिक से अधिक 05 साल ही सुचारु रुप से चल पाते हैं।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

उक्त योजना के अनुसार बधिर श्रमिकों को श्रवण मशीन हेतू मिलने वाली 3000 रूपये की राशि को बढ़ाकर 5000 रूपये कर दिया गया है तथा जीवन भर में उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को 01 बार की बजाय 05 साल के अंतराल पर प्रदान करने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त उक्त योजना की पात्रता हेतू श्रवण मशीन खरीदने का बिल प्रस्तुत करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत डाक्टर की Prescription प्राप्त की जाती है जिसके अनुसार इस योजना में राशि के दुरुपयोग की सम्भावना नहीं रहती।

11) श्रमिकों के बच्चों को स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता प्रदान करने बारे।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को अपनी लड़कियों की पढ़ाई हेतू उनकी प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर से ही आर्थिक मदद करना है ताकि उन्हें अपनी लड़कियों की पढ़ाई के लिए अपनी सीमित कमाई में से खर्च करने पर कठिनाई न हो तथा लड़कियों की पढ़ाई के मार्ग में कोई बाधा न आए तथा उनके भविष्य को संवारा जा सके।

योजना का विवरण :– यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा दिनांक 12–02–2009 को आरम्भ की गई थी। इस योजना में वर्ष 2013 में भी संशोधन किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों की लड़कियों को निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी :–

क) पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक 2000 रुपये।

ख) पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक 3000 रुपये ।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

इस योजना में संशोधन करके वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से बढ़ा दी है:–

योजना का विवरण	वित्तीय सहायता की वर्तमान राशि	घोषणा अनुसार योजना का आकार बढ़ाने बारे	घोषणा अनुसार बढायी गई वित्तीय सहायता की राशि
पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक केवल लड़कियों के लिए	2,000 रू0	पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक लड़कियों के साथ–साथ लड़कों को भी सम्मिलित करना	3,000 रू0
पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक	3,000 रू0	पांचवीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक की कक्षा को बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक लड़कियों के साथ–साथ लड़कों को भी सम्मिलित करना	4,000 रू0

उक्त अनुसार आठवीं कक्षा से बढ़ाकर बारहवीं कक्षा तक इस उद्देश्य से की गई क्योंकि स्कूलों में 12वीं कक्षा तक लड़कियों को स्कूल की वर्दी पहननी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर श्रमिक वर्गों द्वारा की जा रही मांग के अनुरुप उक्त योजना का लाभ लड़कियों तक सीमित न रखकर योजना के अंतर्गत लड़कों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया क्योंकि लड़कों के लिए भी स्कूल की वर्दी पहननी अनिवार्य है।

12) श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को नजर के चश्मों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों की आंखों की कमजोर दृष्टि को सुधारना है ताकि बोर्ड द्वारा आंखों का चश्मा खरीदने हेतू प्रदान की गई वित्तीय सहायता से वह चश्मा खरीद सके तथा अपने कार्यस्थल पर कार्यों को आसानी से कर सकें।

योजना का विवरण :– यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 में आरंभ की गई थी। वर्ष 2013 में भी इस योजना में संशोधन किया गया था। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा उन श्रमिकों को जिनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है उन्हें 1000 रू0 तक की राशि के चश्में खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है। यदि चश्में की कीमत 1000 रू0 से कम होगी तो चश्में की वास्तविक कीमत श्रमिक को अदा की जाएगी तथा इस योजना का लाभ श्रमिक या उसके आश्रित को दिया जाता है। योजना में वर्णित शर्तों में यह स्पष्ट नहीं है कि चश्मे हेतू वित्तीय सहायता पूर्ण सेवाकाल में कितनी बार प्रदान की जानी है, जिसके अभाव में उक्त योजना के तहत केवल एक बार ही वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस प्रकार की आईटम अधिक से अधिक तीन या चार साल तक ही सुचारु तौर पर चल पाती हैं व नजर की क्षमता भी कम हो जाती है।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को नजर के चश्में हेतू मिलने वाली 1000 रू0 की राशि बढ़ाकर 1500 रू0 कर दी गई । जीवन भर में उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 01 बार की बजाय पांच साल के अन्तराल पर प्रदान करने की घोषणा की गई।

13) श्रमिकों को एल0 टी0 सी0 की सुविधा प्रदान करने बारे।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को एतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों के भ्रमण का अवसर प्रदान करना है।

योजना का विवरण :– इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों के श्रमिकों के लिए 1000 रू0 की राशि L.T.C.स्वरूप प्रदान की जाती थी। इस योजना में श्रमिक को 4 वर्ष के ब्लाक में एक बार 1000 रुपये की राशि L.T.C स्वरुप दी जाती थी तथा

श्रमिक को यह शपथ पत्र देना होता है कि उसने सम्बन्धित ब्लाक में पहले कोई राशि L.T.C के रुप में नहीं ली तथा प्रथम ब्लाक वर्ष 2012–2015 माना गया है। यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा वर्ष 2013 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में 10,000 रूपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों को ही लाभ प्रदान किया जाता रहा है जिसमें दिनांक 14–9–2017 से पात्रता हेतू 10000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

श्रमिकों को एल0 टी0 सी0 योजना हेतू मिलने वाली 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।

14) श्रमिकों द्वारा नई साईकल खरीदने उपरांत उसकी वास्तविक कीमत या 3000 रू0 तक जो भी कम कीमत हो की भरपायी बोर्ड द्वारा करना।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य श्रमिक को कार्यस्थल पर डयूटी हेतू जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाना है ताकि वह बिना किसी व्यवधान के अपनी डयूटी पर सुगमता से पहुंच सके।

योजना का विवरण :– यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा दिनांक 12–02–2009 से आरंभ की गई थी। इस योजना में वर्ष 2013 में भी संशोधन किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 10,000 रूपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों को उनके निवास स्थान से संस्था तक डयूटी पर आने–जाने के लिए एटलस, एवन, हीरो, हरकुलिस व बी0 एस0 ए0 ब्रांडस में से किसी एक ब्रांड की साईकल खरीदने उपरांत 3000 रू0 (तीन हजार) या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की भरपाई की जाती थी तथा साईकिल खरीद का मूल बिल प्रस्तुत करने की शर्त को दिनांक 14–09–2017 से समाप्त कर दिया गया है तथा पात्रता हेतू 10000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है। योजना अनुसार श्रमिक को साईकिल पूर्ण सेवाकाल में केवल 01 बार ही प्रदान की जाती थी जो उचित प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार के वाहन अधिक से अधिक 05 साल तक ही सुचारु तौर पर चल पाते हैं।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

जीवन भर में उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 01 बार की बजाय 05 साल के अन्तराल पर प्रदान करने की घोषणा की गई है।

15) महिला श्रमिकों द्वारा सिलाई मशीन खरीदने उपरांत उसकी वास्तविक कीमत या 3500 तक जो भी कम कीमत हो की भरपायी बोर्ड़ द्वारा करना।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य है कि महिला श्रमिकों को यदि सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान की जाए तो वह अपनी निजी सिलाई मशीन खरीद सकती है और वह इसे कमाई का साधन बनाकर अपनी आर्थिक अवस्था को भी सुधार सकती है और अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बना सकती है।

योजना का विवरण :– यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा वर्ष 2013 में आरम्भ की गई थी। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत महिला श्रमिकों के घरेलू उपयोग हेतू महिला श्रमिकों को अपने स्तर पर ब्रांडिड कम्पनियों (Merit, Laxmi, Singer, Usha & Zenith) में से कोई एक ब्रांड की सिलाई मशीन खरीदने पर 3500 रू0 अथवा सिलाई मशीन की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत 10,000 रूपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने उपरांत 3500 रू0 (तीन हजार पांच सौ) या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की भरपाई की जाती थी तथा सिलाई मशीन खरीद का मूल बिल प्रस्तुत करने की शर्त थी जिसे दिनांक 14–9–2017 से समाप्त कर दिया गया है तथा पात्रता हेतू 10000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है। योजना अनुसार श्रमिक को सिलाई मशीन पूर्ण सेवाकाल में केवल 01 बार ही प्रदान की जाती थी जो उचित प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं की भी अवधि निर्धारित होनी चाहिए।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

जीवन भर में उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 01 बार की बजाय 05 साल के अन्तराल पर प्रदान करने की घोषणा की गई।

16) कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई हेतू प्रोत्साहित करना है ताकि उन्हें अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के अन्तर्गत लड़कों तथा लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लड़कियों को विशेष तौर पर

लड़कों से डेढ़ गुणा अधिक राशि योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाती है ताकि कामगार लड़की होने के नाते उसकी पढ़ाई को बीच में न छुडवाएं।

योजना का विवरण :–यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा वर्ष 1976 में आरम्भ की गई थी । इस योजना में वर्ष 2013 में भी संशोधन किया गया था। उसके बाद दिनांक 23–02–2015 को 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के अन्तर्गत उक्त योजना का लाभ दो लड़कियों से बढ़ाकर तीन लड़कियों तक कर दिया गया है तथा छात्रवृत्ति की उपलब्धता दो लड़कों तक भी उपलब्ध रहेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत संस्थाओं द्वारा मांग की गई थी कि छात्रवृति योजना का लाभ उन श्रमिकों को भी प्रदान किया जाए जो हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में अपना अंशदान जमा करवा रहे हैं तथा वह आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। श्रमिकों की उक्त मांग उचित प्रतीत हुई।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

श्रमिकों के बच्चों के अतिरिक्त स्वयं कार्यरत श्रमिकों को भी अपनी पढ़ाई नौकरी के दौरान जारी रखने पर उक्त योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार से छात्रवृति की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया :–

पढ़ाई जारी रखने की कक्षा	लडकों के लिए छात्रवृति राशि (राशि रूपयों में)	लड़कियों के लिए छात्रवृति राशि (राशि रूपयों में)
9वीं से 10वीं	4000 से 5000	6000 से 7000
11वीं से 12वीं	4500 से 5500	6750 से 7750
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	5000 से 6000	7500 से 8500
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बी0 फार्मेसी के प्रत्येक वर्ष के लिए	7000 से 8000	10500 से 11500
पोलीटैकनिक डिप्लोमें, सी0ए0, डी0 फार्मेसी, ए0 एन0 एम0, जी0 एन0 एम0 तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	6000 से 7000	9000 से 10000
आई0 टी0 आई0 डिप्लोमें के प्रत्येक वर्ष के लिए	5000 से 6000	7500 से 8500
सभी प्रकार की स्नातकोतर डिग्रीयों / डिप्लोमें/ बी0 एस0 सी0 नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए	6000 से 7000	9000 से 10000
सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों (एम0 बी0 बी0 एस0, बी0 डी0 एस0, बी0 ए0 एम0एस0 आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए	10000 से 11000	15000 से 16000

17) कामगारों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में कार्यरत महिला की स्वयं की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता देना।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य अपनी लड़की की शादी पर श्रमिक को तथा स्वयं कार्यरत महिला को शादी के पवित्र अवसर पर कन्यादान स्वरुप वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि कुछ हद तक शादी के आयोजन पर श्रमिक को वित्तीय बोझ से राहत मिल सके और लड़की को समाज पर बोझ मानने की मंशा पर अंकुश लग सके तथा लड़के व लड़की के भेदभाव में कमी लाई जा सके।

योजना का विवरण :– यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 में आरंभ की गई थी। इस योजना में वर्ष 2013 में भी संशोधन किया गया था तथा कन्यादान की राशि 21000 रुपये से बढ़ाकर 51000 रुपये की गई थी। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक को तथा कार्यरत महिला की स्वयं की शादी हेतू कन्यादान स्वरूप 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23–02–2015 से उक्त योजना का लाभ 02 कन्याओं से बढ़ाकर 03 कन्याओं के विवाह हेतू दिया जा रहा है। इस सहायता का कामगार द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर कोई प्रभाव नही होता। इस योजना में श्रमिक को आवेदन के साथ शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र व शादी के आयोजन की तिथि के उपरांत 6 मास अंदर–अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होता था तथा श्रमिक को एक अंडरटेकिंग भी देनी होती है कि उसने पहले कभी भी कन्यादान की राशि नहीं ली है। योजना के अंतर्गत शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता था। बोर्ड में आवेदन शादी के आयोजन की तिथि से 6 मास के अंदर देने तथा श्रमिक की सेवा अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है।

घोषणा अनुसार योजना में संशोधन

श्रमिकों की सेवाअवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष तथा आवेदन शादी के आयोजन की तिथि से 6 मास पूरे होने तक श्रम कल्याण अधिकारियों तथा 6 मास से अधिक व एक वर्ष की अवधि तक स्वीकृति हेतू कल्याण आयुक्त को अधिकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त योजना के तहत कन्यादान की राशि शादी के आयोजन की तिथि से 03 दिन पहले प्रार्थी को प्रदान की जाए। उक्त निर्णय की पालना को सुनिश्चित बनाने हेतू संस्था को श्रमिक की बेटियों या स्वयं अविवाहित महिला श्रमिक की शादी के आयोजन की तिथि को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया तथा संस्था से अंडरटेकिंग प्राप्त करने कि शादी के आयोजन की तिथि उपरांत 06 मास के अंदर–अंदर प्रबंधक शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र बोर्ड के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। यदि 06

मास के अंदर–अंदर प्रबंधक बोर्ड के समक्ष उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते तो उन्हें उक्त योजना के तहत श्रमिक को प्रदान की गई राशि बोर्ड के पास जमा करवानी होगी। प्रबंधक श्रमिकों से शादी के आयोजन से सम्बन्धित जरुरी कागजात अपने रिकार्ड में रखेंगें। इस सम्बन्ध में वैबसाईट पर भी I.T Wing द्वारा प्रावधान बनाने के लिए निर्णय लिया गया।